न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः– 60/2024
जी.सी.एम.एस. संख्याः– 2024/166
अपीलार्थीपक्षः–

1. गुणेशराम पुत्र बींजाराम
2. देवाराम पुत्र पपुराम
3. भाकरराम पुत्र पपुराम
4. गैरो देवी पत्नी पपुराम
5. भवरी देवी पत्नी रामुराम
6. ओमाराम पुत्र मंगलाराम
7. जोगाराम पुत्र मंगलाराम
8. कानाराम पुत्र मंगलाराम
9. भाखरराम पुत्र मंगलाराम जातियान राईका निवासी ग्राम शेरगढ़ तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर
10. मुकबल पुत्र निजामुदीन
11. हरून पुत्र निजामुदीन
12. इन्साफ अली पुत्र निजामुदीन
13. इस्लाम पुत्र निजामुदीन
14. मोहम्मद इकबाल पुत्र इस्माईल खां
15. मोहम्मद अयूब पुत्र इस्माईल खां
16. अब्दुल वहीत पुत्र इस्माईल खां
17. रसीदा बानो पत्नी इस्माईल खां
18. जावेद हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन
19. तालिब हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन
20. इस्माईल पुत्र जाकिर हुसैन नाबालिग जरिये कुदरती वालिया जरीना पत्नी जाकिर हुसैन
21. जरीना पत्नी जाकिर हुसैन
22. साईना बानो पुत्री जाकिर हुसैन
23. साजिदा पुत्री जाकिर हुसैन
24. लतीफ पुत्र फकरूदीन
25. इलीयास खां पुत्र फकरूदीन
26. सईदीन पत्नी फकरूदीन

सभी जाति मुसलमान निवासी ग्राम शेरगढ़ जिला जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.09.24 12:48:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. श्रीमती हरू देवी पत्नी आसुलाल जाति महाजन निवासी ग्राम शेरगढ़ जिला जोधपुर
2. सैराजदीन पुत्र बाबू खां
3. सफी मोहम्मद पुत्र भूरे खां
4. रमजान खां पुत्र भूरे खां के कायम मुकाम
   01 फारूक मोहम्मद पुत्र रमजान खां
   02 रफीक मोहम्मद पुत्र रमजान खां
5. मुन्सी खां पुत्र भूरे खां के कायम मुकाम
   01 खातुन बानो पत्नी मुंशी खां
   02. फिरोज मोहम्मद पुत्र मुंशी खां
   03. इंसाफ अली पुत्र मुंशी खां
   04. अकबर अली पुत्र मुंशी खां
   05. अख्तर अली पुत्र मुंशी खां
6. भंवरू खां पुत्र सलेमान खां के कायम मुकाम
   01. जहर अब्बास पुत्र भंवरू खां
   02. गोबीन अली पुत्र भंवरू खां
   03. रईस अली पुत्र भंवरू खां
   04. हमीद बानो पत्नी भंवरू खां
7. हबीब खां पुत्र अलादीन खां के कायम मुकाम
   01. बानो पत्नी हबीब खां
   02. सलीम पुत्र हबीब खां
   03. आरिफ पुत्र हबीब खां
8. शबीर खां पुत्र अलादीन खां
9. हनीफ खां पुत्र अलादीन खां
10. कबीर खां पुत्र अलादीन खां के कायम मुकाम
    01. जावेद पुत्र कबीर खां
    02. समीर हुसैन पुत्र कबीर खां
    03. इलसाना रियान पुत्री कबीर खां
    04. मुमताज बानो पत्नी कबीर खां
11. सोकत खां पुत्र अलादीन खां
12. रफीक मोहम्मद पुत्र अलादीन खां
13. अयूब खां पुत्र सबास खां

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.09.24 12:48:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

14. सेराज खां पुत्र सबास खां

15. कमरूदीन पुत्र मुराद खां के कायम मुकाम

01. रफीक पुत्र कमरूदीन

02. रसीद पुत्र कमरूदीन

03. जदुन पत्नी कमरूदीन

16. ईद मोहम्मद पुत्र मुराद खां

17. लाल खां पुत्र मुराद खां

जातियान भिस्ती सिन्धी निवासीयान शेरगढ़ जिला जोधपुर

18. बीनू कवंर पत्नी श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी साई

19. लादु खां पुत्र मल्ले खां मुसलमान निवासी मीरपुरा साई

20. रूपाराम पुत्र उमाराम जाति मेगवाल निवासी तेना

21. श्रीमती कमा पत्नी भराराम जाति राईका निवासी हाल ठिकाना शेरगढ़

22. जोसफ खां पुत्र हनीफ खां जाति तेली निवासी हाल ठिकाना शेरगढ़

23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.10.2014 तहसीलदार (भू.अ.) शेरगढ द्वारा स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलार्थीगण)।

2. अधिवक्ता देवी सिंह भाटी उपस्थित (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, 4/2, 5/2 से 5/5, 7/1 से 7/3, 8 से 9, 10/1, 10/2, 10/4, 11 से 14, 15/1,15/2, 16,17 एवं 22 की ओर से)

3. अधिवक्ता श्री गुमान सिंह राठौड़ उपस्थित (रेस्पोडेन्ट 4/1 की ओर से)

शेष रेस्पोडेन्ट सख्या (5/1, 6/1 से 6/4, 10/3, 15/3, 18 से 21' नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.09.24 12:48:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश **दिनांक :— 18.09.2024**

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2014/2807 दिनांक 10.10.2014 तहसीलदार (भू.अ.) शेरगढ द्वारा बंटवाड़ा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण की सयुंक्त खातेदारी कब्जाकाश्त की कृषि भूमि

अपर जिला कलक्टर3(प्रथम)
जोधपुर

मौजा शेरगढ़ के खसरा संख्या 1275 रकबा 200 बीघा 08 बिस्वा खसरा सख्या 1278 रकबा 85 बीघा 10 ब्रिस्वा कुल खसरा दो कुल रकबा 285 बीघा 18 बिस्वा आई हुई है। उक्त खसरा रकबा में अपीलांट संख्या 01 से 09 का 3/8 हक हिस्सा अपीलांट संख्या 10 से 26 का 1/4 प्रत्यर्थी सख्या 01 का 1/8 हिस्सा एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 से 22 का 1/4 हक हिस्सा कब्जा काश्त है। प्रत्यर्थी संख्या 18 से 22 केतागण है। खसरा संख्या 1275 एवं 1278 के बीच में से मेगा हाई सड़क निकलने के कारण मुख्य सड़क पर कृषि भूमि की कीमत अधिक है। इस कारण खातेदारान काश्तकारान ने आपसी समझाईश से प्रत्येकं खसरें में से मुख्य सड़क पर हिस्से अनुसार बंट कर लिया। रेस्पोडेन्ट ने उक्त खसरा रकबा का आपसी समझाईश से हुए मौके पर बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में एवं राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने के लिए एक बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के हस्ताक्षर करवाये लेकिन प्रत्यर्थीगण ने मौके पर कब्जाकाश्त बंट हिस्सा के विपरीत राजस्व नक्शा में बट्टा नम्बर दर्ज कर दिया एवं मुख्य सड़क से खातेदारी में आने जाने के लिए किसी प्रकार का रास्ता ही नहीं रखा गया। प्रत्यर्थी संख्या 02 से 17 ने अपने हक हिस्से बंट से ज्यादा भूमि मुख्य सड़क पर अपने बंट में रखी। अपीलांट वादग्रस्त भूमि में 05/08 के हिस्सेदार होने के बावजूद मुख्य सड़क पर भूमि बंट में नहीं रखी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 07 से 17 ने अपीलांट को मुगालते में रखते हुए विधि विरूद्व बंटवाड़ा करवाया जिसकी जानकारी अपीलांटस को नहीं होने दी। तहसीलदार शेरगढ़ के अपीलाधीन आदेश की पालना में बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत होने के कारण राजस्व नक्शे में भी तरमीम नहीं की। केवल राजस्व रेकर्ड में बट्टा नम्बर दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजीयात में से अपने हक हिस्से में से कुछ भाग का बेचान कर दिया एवं बेचान दस्तावेज के आधार पर केतागण ने मौके पर कब्जा करने एवं निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर नीवें खोदना शुरू कर दिया तो अपीलांट ने मना किया तो केतागण ने दिनांक 20.11.2021 को विधि विरूद्व बंटवाड़ा की नकल बताई। अपीलांट ने दिनांक 29.11.2021 को बंटवाड़े की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए तहसीलदार शेरगढ़ के कार्यालय में आवेदन किया एवं अपीलांट को दिनांक 29.11.2021 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर बंटवाडे की जानकारी हुई। तहसीलदार शेरगढ के आदेश दिनांक 10.10.2014 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता देवी सिंह भाटी एवं गुमान सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षकार अधिवक्तागण की बहस दिनांक 22.08.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 18.09.2024 को आदेश हेतु रखी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.09.24 12:48:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण 11 से 13 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत गलत पक्षकार **बनाकर** अपील पेश करने का दिनांक 28.08.2024 को पेश कर बतलाया कि हमारी ओर से न तो अपील पेश की गई और न ही इस बाबत हमारी सहमति ली गई एवं बिना जानकारी एवं बिना सहमति के गलत पक्षकार बनाकर पेश की है। मौजा शेरगढ़ के खसरा सख्या 1275 व 1278 का विधिवत् बंटवाड़ा दिनांक 10.10.2014 से सहमत होकर उक्त बंटवाड़ा सही एवं विधि सम्मत होना जाहीर किया। चूंकि अपीलार्थी 11 से 13 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना शपथ पत्र पेश है। न्यायालय में अपील पेश करने के इतनी लम्बी अवधि के पश्चात एवं बहस होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं की जाकर प्रार्थीगण द्वारा मात्र बतलाया गया है कि अपीलाधीन बंटवाड़ा से सहमत है। अपीलाधीन बंटवाड़े का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण 11 से 13 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सारहीन योग्य होने से निरस्त किया जाता है।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजीयात में से अपने हक हिस्से में से कुछ भाग का बेचान कर दिया एवं बेचान दस्तावेज के आधार पर क्रेतागण ने मौके पर कब्जा करने एवं निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर नीवें खोदना शुरू कर दिया तो अपीलांट ने मना किया तो क्रेतागण ने दिनांक 20.11.2021 को विधि विरूद्ध बंटवाड़ा की नकल बताई। अपीलांट ने दिनांक 29.11.2021 को बंटवाड़े की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए तहसीलदार शेरगढ़ के कार्यालय में आवेदन किया एवं अपीलांट को दिनांक 29.11.2021 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपीलाधीन बंटवाडे आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण द्वारा अविलम्ब यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे माफ कर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने की प्रार्थना की।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए गुणावगुण बहस में बतलाया कि मौजा शेरगढ़ तहसील जिला जोधपुर के खसरा संख्या 1276 रकबा 200 बीघा 08 बिस्वा खसरा संख्या 1278 रकबा 85 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 285 बीघा 18 बिस्वा आई हुई है जिसमें अपीलांट संख्या 01 स 09 का 3/8 एव अपीलांट सख्या 10 से 26 [illegible] हक हिस्सा खातेदारी अधिकार है। उक्त खसरा रकबा में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 22 का 1/4 हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 18 से 22 [illegible] है। अपीलांट खसरा संख्या 1275 एवं 1278 के खातेदार काश्तकार होने के का[illegible] प्रत्येक खसरा में हक हिस्सा दर्ज था। खातेदार काश्तकार ने प्रत्येक खसरा में से हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.09.24 12:48:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हस्ताक्षर किये लेकिन उसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 07 से 17 ने राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों से सांठ गांठ कर प्रस्तावित बंटवाड़े में कांट छांट करवा दी एवं तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट संख्या 01 से 09 को खसरा संख्या 1278 में से हिस्सा नहीं देकर खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये। खसरा संख्या 1278 एवं 1275 के बीच में से मेगा हाईवे सड़क का निर्माण हो जाने के कारण सड़क पर भूमि की कीमते अधिक होने से अपीलांट संख्या 01 से 09 व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को खातेदारी के अनुपात में मुख्य सडक पर बंट नहीं दिया। अपीलार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि प्रस्तावित बंटवाडा में टाईप किया हुआ है एवं उसके बाद हाथ से जोड़ा गया है एवं क्रम संख्या में भी कांट छांट की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावित बंटवाड़ा साफ सुथरा नहीं होने एवं कांट छांट युक्त प्रस्तावित बंटवाड़ा को तस्दीक कर विधिक भूल की है। बहस के अन्त में अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बतलाए गए तर्को का विरोध करते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सभी ने एक राय होकर अपनी स्वतंत्र सहमति व राजीखुशी से सामलाती कृषि भूमि खसरा सख्या 1275 रकबा 200 बीघा एवं खसरा सख्या 1278 रकबा 85 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 285 बीघा 10 बिस्वा का अपने अपने हक हिस्से अनुसार तहसील शेरगढ़ में सभी उपस्थित होकर अपने अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान से जोत विभाजन का एग्रीमेंट लिखित में पेश किया जिन सभी की पहचान श्री जालिम सिंह सरपंच गजसिंहपुरा द्वारा रूबरू तहसीलदार के की गई तथा सभी खातेदारों द्वारा सामलाती उक्त भूमि का अपने अपने हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने करने के निवेदन पर तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा जोत विभाजन लिखे व निष्पादित अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया गया जिसके अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की आपसी सहमति से निष्पादित बंटवाड़ा एग्रीमेन्ट/प्रस्ताव व संलग्न खातेदारी भूमि विभाजन का नक्शानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जिसको सभी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ने सही माना एवं अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हुए तथा इस बंटवाड़ा के पश्चात अपीलांट संख्या 6 से 9 व अन्य खातेदारों ने अपनी कृषि भूमि का बेचान भी अन्य को कर दिया। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा निष्पादित व पंजीबद्ध होने के पश्चात करीब 08 वर्ष पश्चात उक्त उल्लेखित बंटवाड़ा दिनांक 10.10.2014 को चुनौती दी गई जो कि अवधि पार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.09.24 12:18:43 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि सहखातेदारो के द्वारा संयुक्त रूप से आपसी सहमति से निष्पादित बंटवाड़ा एग्रीमेंट/जोत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया इसलिए आम सहमति से निष्पादित विभाजन के आधार पर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा राजस्व रेकर्ड में विभाजन/बंटवाड़ा अमल दरामद के विरूद्व अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाधीन आदेश के पारित होने के करीब 8 वर्ष बाद अत्यधिक देरी के पश्चात बिना कोई सद्भाविक कारण से मियाद बाहर अपील पेश की गई एवं कुछ अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन के आधार पर अपने हिस्से की भूमि का बेचान भी कर दिया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के द्वारा लिखित व निष्पादित बंटवाड़ा के अनुसार ही अपीलधीन आदेश पारित किया गया है एवं किसी भी पक्षकार व खातेदार के कोई खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये है। जब किसी जोत का विभाजन खातेदारों की आम सहमति से नहीं होने पर बंटवाड़ा डिक्री न्यायालय द्वारा पारित किये जाने पर उसकी पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव मुरतिब किया जाता है तो उस स्थिति में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का अवलोकन करते हुए विभाजन प्रस्ताव बनाया जाता है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है क्यों कि मौजूदा प्रकरण में बंटवाड़ा आम सहमति से किया गया है। अपीलांट द्वारा आम सहमति से बंटवाड़ा विलेख व उसके साथ संलग्न नक्शे में विभाजन व उससे लगती मुख्य रोड़ से सीधा सम्बन्ध है तथा बंटवाड़े के संलग्न नजरिये नक्शे में अलग अलग भू भाग दर्शा कर उस नक्शे पर सभी के हस्ताक्षर है तथा सभी पक्षकार/खातेदारों ने अपनी सुविधाजनक रूप से आम सहमति से अपने अपने भू भाग दर्शाये है। बंटवाड़ा विभाजन प्रस्ताव में कांट छांट द्वारा हिस्सा कम ज्यादा नहीं किया गया है जो भी दुरूस्त कर वाईटनर लगाया गया है वे स्वयं पक्षकार/खातेदारों के द्वारा ही किया जाकर उस पर हस्ताक्षर व अगुंष्ठ निशान कर तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष पेश किया गया है इसलिए कांट छांट में तहसीलदार शेरगढ़ का कोई सम्बन्ध नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस के अंत में प्रस्तुत अपील बिना कोई सद्भाविक कारण 8 वर्षो के पश्चात पेश करने से मियाद बाहर होने पर अपील पोषणीय नहीं होने से अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में बतलाया गया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा बेचान किये गये दस्तावेज के आधार पर क्रेतागण ने मौके पर कब्जा करने एवं निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर नीवें खोदना शुरू कर दिया तभी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 20.11.2021 को विधि विरूद्व बंटवाड़ा की नकल बताने पर दिनांक 25.11.2021 को तहसीलदार शेरगढ़ से आलोच्य बंटवाड़े आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद अपील पेश की है। विलम्ब क्षमा करने के स्पष्टीकरण को उदारता से लेना चाहिए मौजूदा मामले में अपील पेश करने में जो विलम्ब सामने आया है जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.09.24 12:18:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

स्पष्टीकरण भी संतोषजनक प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश नहीं किया और ना ही रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य पेश किये गये जिससे यह सिद्व होता हो कि अपीलांट को अपीलाधीन बंटवाड़े की जानकारी शुरू से रही हो। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील पेश करने में हुए विलम्ब के कारण पर्याप्त संतोषप्रद, सद्भाविक एवं न्यायोचित है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील में हुए विलम्ब को क्षमा (Condone) किया जाता है व अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है कि अपीलार्थी का अपील में मुख्य कथन यह है कि अपीलाधीन बंटवाड़े में कई जगह कांट छांट एवं व्हाईटनर का उपयोग किया गया है। प्रथमतः अपीलाधीन बंटवाड़े का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बंटवाड़े में कई जगह कांट छांट की हुई है तथा सहखातेदारों के खसरा, रकबा में व्हाईटनर का प्रयोग कर प्रविष्टिया संशोधित की गई है। द्वितीयतः अधिवक्ता अपीलार्थी ने बतलाया कि अपीलांट खसरा संख्या 1275 एवं 1278 के खातेदार होने से प्रत्येक खसरा में हक हिस्सा बंट में आता था किन्तु उसे मुख्य सड़क पर भूमि बंट में नही देकर पीछे की ओर बंट में दी गई है जिसका अपीलाधीन आदेश में न्यायोचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के कथनानुसार यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि सभी सह खोतदारों ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा पेश किया है क्यों कि यदि समस्त सहखातेदार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विधि अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते थे तो अपीलाधीन आदेश में कांट छांट कर व्हाईटनर इत्यादि की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि उक्त बंटवारा आदेश में कांट छांट की गई है जहां जहां कांट छांट की गई है वहां पर सहखातेदार के हस्ताक्षर एवं अगुंष्ठ निशान भी नहीं है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव में कांट छांट एवं व्हाईटनर का प्रयोग तहसीलदार के समक्ष न होकर कुटरचित तरीके से मिलीभगत कर बाद में पारित किये जाने का जो कथन किया है उसके विरोध में प्रत्यर्थीपक्ष अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्व होता हो कि उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव में कांट छांट तहसीलदार के समक्ष पेश हुआ जिससे भी अपीलार्थी अधिवक्ता के अभिकथनों को बल मिलता है। न्यायालय के विनम्र मत में अपीलाधीन बंटवाडा साफ सुथरा नहीं होकर प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश बाई मीटस एण्ड बाउण्ड के तहत नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया जाना कतई न्यायोचित एवं न्यायसंगत नही होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.09.24 12:48:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तहसीलदार (भू.अ.) शेरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मीट्स एण्ड बाउंड के तहत उक्त अपीलाधीन आदेश का परीक्षण कर कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति सहित लौटाया जावे।

(दीप्ति शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दीप्ति शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.09.24 12:48:43 IST
Reason: SelfAttested